

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी मेरुलाल विपक्षी कंकुषाई
 किस्म मुकदमा 53,188 P.P. पत्रावली संख्या 03/24 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p style="text-align: center;"><u>16/09/25</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय शाम 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में तलबी में नियत हैं। वादी को तलबी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी वादी द्वारा तलबी रजिस्टर्ड एडी से करा स्वीकृति पेश नहीं की। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति समग्न नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम फैसी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



**सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली**

